भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
अंतरिक्ष विभाग / DEPARTMENT OF SPACE
भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन / INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र / VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE
तिरुवनंतपुरम / THIRUVANANTHAPURAM – 695022

सीएचएसएस अनुभाग / CHSS Section

सं./No.6.2/सीएचएसएस/CHSS/2026 अक्तूबर / October 12, 2026

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: सीएचएसएस के अधीन पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन की अनिवार्य अपेक्षा संबंधी
Sub: Mandatory requirement of prior administrative approval under CHSS – reg.

कभी-कभी देखा गया है कि कई हितभागी अनिवार्य पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन लिए बिना उच्च मूल्य की दवाएं / युक्तियां / प्रक्रियाएं / उपचार ले लेते हैं और बाद में प्रतिपूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर अनुमोदन हेतु अनुरोध प्रस्तुत करते हैं। ऐसे अनुरोध सीएचएसएस नियमों के अनुरूप नहीं हैं और प्रशासनिक कठिनाइयों का कारण बनते हैं।

At times, it has been observed that many beneficiaries are procuring / availing high value medicines / devices / procedures / treatments without obtaining mandatory prior administrative approval and subsequently submitting requests for post-facto approval from the Competent Authority for reimbursement. Such requests are not in accordance with CHSS rules and cause administrative difficulties.

सभी हितभागियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए केंद्र से **पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन** अनिवार्य है:

All beneficiaries are hereby informed that **prior administrative approval** from the Centre is mandatory for availing the following:

1. **चिकित्सीय युक्ति की खरीद/Purchase of Medical Device**
   - i. बैपाप मशीन / BIPAP Machine
   - ii. सीपीएपी मशीन / CPAP Machine
   - iii. ऑक्सीज़न सांद्रक / Oxygen Concentrator
   - iv. वाटर बेड/आल्फा बेड / Water bed/Alpha Bed

2. **प्रक्रियाएं /उपचार / जांचें / Procedures / Treatments / Investigations**
   - i. होल्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक मानीटरन (24 घंटे से आगे समय के लिए अपेक्षित)
     Holter Electrocardiographic Monitoring (required beyond 24 hrs)
   - ii. निद्रा संबंधी अध्ययन / Sleep Study
   - iii. पीईटी स्कैन / PET Scan
   - iv. नाभिकीय चिकित्सा - थायरोटॉक्सिकोसिस थेरैपी
     Nuclear Medicine – Thyrotoxicosis Therapy
   - v. सीएचएसएस स्टेशन से बाहर प्रसव-पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर उपचार
     Pre-natal, natal & post-natal treatment outside home CHSS station
   - vi. आइवीएफ उपचार / IVF Treatment
   - vii. पंचकर्म उपचार / Panchakarma Treatment
   - viii. घर पर भौतिकचिकित्सा / Home Physiotherapy
   - ix. अं.वि. पैन इंडिया योजना के अधीन उपचार
     Treatments under DOS PAN India Scheme

.....2/-

3. **प्रति चक्र 10,000/- से ऊपर के उच्च मूल्य की दवाएं**
   High value drugs over and above 10,000/- per cycle

4. **प्रक्रियाएं / उपचार / जांचें / Procedures / Treatments / Investigations**
   (अं.वि. का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित / requiring prior DOS approval)
   i. इनसुलिन पंप / Insulin Pump
   ii. कॉक्लियार इंप्लान्टेशन / Cochlear Implantation
   iii. इंट्राथेकल बैक्लोफेन पंप / Intrathecal Baclofen Pump
   iv. गहन मस्तिष्क उत्तेजन / Deep Brain Stimulation
   v. इंप्लैन्टबल पल्स जनरेटर का प्रतिस्थापन / Replacement of Implantable Pulse Generator
   vi. ऑर्गन ट्रान्सप्लैन्ट / Organ Transplant

तदनुसार, वे सभी मुख्य हितभागी, जो ऊपर बताई गई प्रक्रियाओं/उपचारों/जांचों का लाभ उठाना चाहते हैं, उपचार शुरू करने या युक्तियां/दवाएं खरीदने से पहले, उस प्रक्रिया/युक्ति/दवा की आवश्यकता का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उपचार करनेवाले परामर्शदाता/विशेषज्ञ द्वारा जारी किए गए अनिवार्यता प्रमाणपत्र के साथ पूर्व अनुमोदन हेतु **अनुलग्नक I** के रूप में संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपना अनुरोध प्रस्तुत करें।

Accordingly, all prime beneficiaries who intend to avail any of the above procedures / treatments / investigations are required to furnish their request in the prescribed format enclosed as **Annexure I** for prior approval along with Essentiality Certificate issued by the treating Consultant/Specialist clearly mentioning the necessity of the procedure/device/medicine, before initiating the treatment or purchasing the device/medicines.

ध्यान दें कि दवा/उपचार/प्रक्रिया/जांच का लाभ उठाने के बाद प्राप्त अनुरोधों पर विचार **नहीं** किया जाएगा।
It may be noted that requests received after availing the medicine / treatments / procedure / investigation **will not** be entertained.

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से सख़्ती से अनुपालन करने के लिए जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of the Competent Authority for strict compliance.

(रंजिनी बी नायर / Renjini B Nair)
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी / Senior Administrative Officer

संलग्नक/ Encl:
अनुलग्नक। – पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रारूप / Annexure I - Format for obtaining prior approval.

सेवा में / To
अशोका सूचना पट्ट / Ashoka Notice Board
पेंशनभोगी पोर्टल के माध्यम से वीएसएससी/एपीईपी से संबद्ध सभी पेंशनभोगी
All Pensioners attached to VSSC/APEP through Pensioners Portal
प्रभारी अधिकारी, एएमडी/ डीएई, पूजप्पुरा एवं कोल्लम / Officer I/C, AMD/ DAE, Poojappura & Kollam
कमांडेंट, केऔसुब, वीएसएससी / Commandant, CISF, VSSC

प्र.प्रे / Copy to
वरि.पधान, पीजीए, वीएसएससी / Sr. Head, P&GA, VSSC
पधान, पीजीए, वीएसएससी / Head, P&GA, VSSC
मुख्य नियंत्रक,वीएसएससी / Chief Controller, VSSC
निदेशक, वीएसएससी/आइआइएसयू / Director, VSSC/IISU

} सूचनार्थ / For kind information